

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

17 MAR 2015

क्रमांक : प. 1(7)एम.ई./ग्रुप-1/82

जयपुर, दिनांक :

आदेश

चिकित्सा शिक्षा विभाग के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षक, जिनकी जन्म तिथि कॉलम संख्या-4 में अंकित है, के द्वारा राजकीय सेवा में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-5 में अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् से इन्हें एतद्द्वारा सेवानिवृत्त किया जाता है :-


क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	पदनाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
1	डॉ० सुचित्रा गौड़	आचार्य, फार्माकोलोजी	04.11.1955	30.11.2015
2	डॉ० राजरानी शर्मा	आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग	22.9.1955	30.9.2015
3	डॉ० सुशीला खुंटेटा	आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग	30.7.1955	31.7.2015
4	डॉ० उषा शेखावत	आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग	20.7.1955	31.7.2015
5	डॉ० देविका रानी चौधरी	आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग	10.8.1955	31.8.2015
6	डॉ० उमा बिस्सा	आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग	15.8.1955	31.8.2015
7	डॉ० जयन्त कुमार	आचार्य, फिजियोलोजी	11.2.1956	29.2.2016
8	डॉ० आर.के. मनोहर	आचार्य, पीएसएम	19.9.1955	30.9.2015
9	डॉ० रेणु नारायण माथुर	आचार्य, पीएसएम	28.5.1955	31.5.2015
10	डॉ० अफीफा जफर	आचार्य, पीएसएम	30.12.1955	31.12.2015
11	डॉ० एच.पी. त्रिवेदी	आचार्य, दन्त	24.2.1956	29.2.2016
12	डॉ० डी.डी. गुप्ता	आचार्य दन्त	10.9.1955	30.9.2015
13	डॉ० एच.एस. भुई	आचार्य, ई.एन.टी.	30.5.1955	31.5.2015
14	डॉ० डी.पी. गुप्ता	आचार्य, ई.एन.टी.	04.2.1956	29.2.2016
15	डॉ० बी.के. सिंह	आचार्य, ई.एन.टी.	31.3.1956	31.3.2016
16	डॉ० अलका गोयल	आचार्य, एनाटोमी	14.9.1955	30.9.2015
17	डॉ० एच.पी. गुप्ता	आचार्य, जनरल सर्जरी	15.9.1955	30.9.2015
18	डॉ० सीताराम	आचार्य, जनरल सर्जरी	02.2.1956	29.2.2016
19	डॉ० राजवीर आर्य (वर्तमान में निलम्बित)	आचार्य, जनरल सर्जरी	04.11.1955	30.11.2015
20	डॉ० महेश कुमार रोहिला	आचार्य, जनरल सर्जरी	02.7.1955	31.7.2015

कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों के विरुद्ध वर्तमान में एफ.आई.आर. लम्बित है :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	पदनाम	लम्बित एफ.आई.आर.
1	डॉ० डी.पी. गुप्ता	आचार्य, ई.एन.टी.	एफ.आई.आर. 184/12
2	डॉ० एच.पी. गुप्ता	आचार्य, जनरल सर्जरी	एफ.आई.आर. 309/09
3	डॉ० राजवीर आर्य (वर्तमान में निलम्बित)	आचार्य, जनरल सर्जरी	एफ.आई.आर. 153/14 पीएस जारी

कार्मिक (क-3) विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त तीन चिकित्सक शिक्षकों के अलावा ऊपर वर्णित अन्य चिकित्सक शिक्षकों के विरुद्ध वर्तमान में कोई डीई/पीई/एफआईआर/कन्पलेन्ट आदि विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आदेश से,


(सम्पत मल लोढा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
3. निदेशक/संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
4. निदेशक/संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
5. संबंधित चिकित्सक शिक्षक मार्फत संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज।
6. श्री पी.पी. तिवाड़ी, सहायक प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाइट पर प्रचारित करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(धन्ना लाल)
शासन सहायक सचिव